न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–40 / 2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1 मनोज पुत्र बीरमाराम जाति विश्नोई निवासी भाकरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2 पुनाराम पुत्र नाथाराम जाति विश्नोई निवासी भाकरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर 3 जब्बरसिंह, संचालक, बाबा रामदेव होटल मौजा सरहद भाकरोद एनएच 62 तहसील व जिला नागौर। 4 बीरमाराम सहसंचालक, बाबा रामदेव होटल मौजा सरहद भाकरोद एनएच 62 तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राठौड।

निर्णय

दिनांक –17.09.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 404.02 किलोग्राम मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (छोटा नीला ड्रम / जरीकन 37 किलोग्राम सहित, जो मार्क ड्रम–ए, बडा नीला ड्रम सहित 137.10 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–बी, बडा नीला ड्रम सहित 112.60 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–सी, बडा नीला ड्रम सहित 117.5 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–डी) मय वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 7440, एक स्टील की धातु का कीमा, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वॉल को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 17.09.2025 को अपना जवाब पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 28.04.2025 को पुलिस थानाधिकारी खींवसर से प्राप्त सूचना पर श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी हमराह श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री रामनिवास वेरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खींवसर पहुंचे। मौके पर पुलिस थानाधिकारी से तहरीर प्राप्त कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। पुलिस थाना खींवसर मे डिटेन / जब्तसुदा वाहन बोलेरो केम्पर गाडी सं. आरजे–43 जी.ए. 7440 तीन प्लास्टिक के नीले रंग के क्षमता 200 लीटर के ड्रम, एक प्लास्टिक का नीला ड्रम, एक बडा इलेक्ट्रिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वाल, एक स्टील की धातु का कीमा का निरीक्षण थानाधिकारी व मौके पर उपस्थित मनोज व पुनाराम की उपस्थिति मे किया। केम्पर बोलेरो मे रखे 3 प्लास्टिक के ड्रमों जिसमे पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था, को पुलिस द्वारा सील किये गये थे एवं एक प्लास्टिक का नीला रंग का छोटा केन / ड्रम जो पुलिस द्वारा सील किया हुआ था, जिसमे पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। उपरोक्त उपस्थित सभी के समक्ष पुलिस द्वारा लगाई सील को तोडकर प्रत्येक ड्रम मे अलग अलग स्टील की बाल्टी मे पेट्रोलियम पदार्थ निकाला गया। पास ही स्थित पेट्रोल पंप से एक कार्मिक को डेनसिटी इंस्ट्रूमेंट एवं डेनसिटी चार्ट लेकर

17/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

बुलाया गया। पेट्रोल पंप सकून फिलिंग स्टेशन के कार्मिक इरफान राजावत डेनसिटी इन्सट्रूमेंट एवं डेनसिटी चार्ट लेकर मौके पर पंहुचा। प्रत्येक ड्रम मे से स्टील की बाल्टी मे पेट्रोलियम पदार्थ निकाल कर उपस्थित सभी के समक्ष डेनसिटी का मापन पंप के कार्मिक द्वारा किया गया। सभी ड्रमो से अलग अलग मात्रा मे पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी चेक करने पर न ही तो पेट्रोल की डेनसिटी आयी और ना ही डीजल की डेनसिटी पायी गयी। पेट्रोलियम पदार्थ को सूंघने पर इसमे मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत हुआ। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को दिनांक 27.04.2025 को मौजा सरहद भाकरोद एनएच 62 स्थित बाबा रामदेव होटल की तलाशी के दौरान मुलजिम पुनाराम व मनोज के साथ जब्त किया गया था। श्री मनोज पुत्र बीरमाराम जाति विश्नोई निवासी भाकरी तहसील ओसियां एवं श्री पुनाराम पुत्र श्री नाथाराम जाति विश्नोई निवासी भाकरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर ने भी अपने बयानो मे स्वीकार किया है कि उनके द्वारा बाबा रामदेव होटल जोधपुर–नागौर एनएच–62 पर गुजरात से आने वाले टैंकरों से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदा था। इन्होने अपने बयान मे बताया कि ये दोनो पिछले दो महीने से बाबा रामदेव होटल मे नौकरी करते है। होटल मे खाना व चाय बनाने का काम बंद है। होटल मे केवल गुजरात से आने वाले टेंकरो से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद फरोक्त का कार्य ही किया जा रहा है। टैंकर गुजरात से आते है और आगे कहां जाते है यह उन्हे पता नही। होटल का संचालन श्री जब्बरसिंह एवं श्री बीरमाराम द्वारा किया जा रहा है। होटल का एग्रीमेंट श्री जब्बरसिंह के नाम है जो पाटोदी जिला बालोतरा का रहने वाला है, यह मनोज एवं पुनाराम ने बताया। श्री मनोज व पुनाराम ने बताया कि दोनो व्यक्ति होटल पर नौकरी करते है। होटल पर टेंकरो से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने का कार्य ही करते है इसकी एवज मे 20,000/– प्रति माह प्रत्येक को जब्बरसिंह देता है। इन्होने बताया कि जब पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा मात्रा मे इकट्ठा हो जाता था तो जब्बरसिंह उसे पिकअप या बडी गाडी मे ड्रमो को लोड कर बेचने ले जाता था। यह किसको बेचा जाता था यह उन्हे पता नही। इन्होने बताया कि उनको जब्बरसिंह ही फोन कर बताता था कि कौनसे टैंकर से कितना माल खरीदना है और उसे किस रेट से पैसा देना है। टैंकर से ड्राईवर के साथ हम दोनो पेट्रोलियम पदार्थ टैंकर के वाल्व से निकालते थे और ड्राईवर को पैसा हमारे द्वारा ही दिया जाता था। इन्होने बताया कि दिनांक 27.04.2025 को पुलिस ने होटल पर दबिश की उस समय हम दोनो ही उपस्थित थे। मौके पर तीन प्लास्टिक के ड्रम जिनमे पेट्रोलियम पदार्थ भरा था एवं छोटा ड्रम जिसमे पेट्रोलियम पदार्थ भरा था, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक स्टील की धातु का कीमा, एक नोजल पाईप मय वाल थे। पेट्रोलियम पदार्थ के दस्तावेज नही पाये जाने पर उक्त समस्त सामान मय हम दोनो को पुलिस अपने साथ पुलिस थाना खींवसर लेकर आ गये। श्री मनोज व पुनाराम से उक्त मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के दस्तावेज मांगने पर इन्होने किसी भी प्रकार का दस्तावेज (क्रय, विक्रय एवं भण्डारण) नही होना बताया गया, श्री मनोज व श्री पुनाराम के पास पेट्रोलियम पदार्थ या अन्य किसी भी पदार्थ के क्रय, विक्रय एवं भण्डारण के दस्तावेज नहीं पाये जाने पर Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal-practices) Oder 2005 का उल्लघंन पाये जाने पर तीन प्लास्टिक के नीले ड्रमो मे भरा एवं एक छोटा नीला प्लास्टिक सहित 404.2 किलोग्राम मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (छोटा नीला ड्रम/जरीकन 37 किलोग्राम सहित जो मार्क ड्रम–ए, बडा नीला ड्रम सहित 137.10 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–बी, बडा नीला ड्रम सहित 112.60 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–सी, बडा नीला ड्रम सहित 117.5 किलोग्राम जो मार्क–डी) वाहन बोलेरो कैम्पर रजिस्टर्ड नं. आरजे 43 जीए 7440, एक स्टील की धातु का कीमा, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वाल को जब्त सरकार किया गया। प्लास्टिक ड्रम/जरीकन छोटा रंग नीला मार्क–ए से एक स्टील की साफ बाल्टी मे मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर 1000 एमएल एल्युमिनियम के कंटेनर मे नमूना लिया गया। नमूना ए–1, ए–2, ए–3 मार्क किया गया। नमूना ए–1 को प्लास्टिक की सील सं.–973838, ए–2 को प्लास्टिक की सील सं. –362279, एवं ए–3 को प्लास्टिक की सील सं.–362265 से सील्ड किया। नमूना ए–1 को वास्ते एफएसएल जॉच, नमूना ए–3 कार्यालय हाजा मे रखने हेतु साथ लिया गया और नमूना ए–2 श्री मनोज पुत्र बीरमाराम को सुपुर्द किया जाकर सुपुर्दगी के हस्ताक्षर करवाये गये। प्लास्टिक ड्रम मार्क–बी से एक स्वच्छ स्टील की बाल्टी मे मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर एल्युमिनियम के कंटेनर को उसी पदार्थ से धोकर 1000 एमएल मिश्रित पेट्रोलियम का तीन नमूना लिया जाकर नमूना बी–1, बी–2, बी–3 मार्क किया गया। नमूना बी–1 को प्लास्टिक सील सं.–973801 से सील किया जाकर वास्ते एफएसएल जॉच हेतु साथ लिया गया, नमूना बी–2 को प्लास्टिक सील सं.–362236 से

17/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

सील किया जाकर श्री मनोज पुत्र बीरमाराम को सुपुर्द किया जाकर सुपुर्दगी के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना बी–3 को प्लास्टिक सील सं.–362224 से सील कर कार्यालय हाजा मे सुरक्षित रखने हेतु साथ लिया गया। प्लास्टिक ड्रम मार्क–सी से एक स्वच्छ स्टील की बाल्टी मे मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर एल्युमिनियम के कंटेनर को उसी पदार्थ से धोकर मिश्रित पेट्रोलियम के तीन नमूना सेम्पल लिया गया और इसे नमूना सी–1, सी–2, सी–3 मार्क किया गया। नमूना सी–1 को प्लास्टिक सील सं.–973803 से सील किया जाकर वास्ते एफएसएल जॉच हेतु साथ लिया गया, नमूना सी–2 को प्लास्टिक सील सं.–362229 से सील किया जाकर श्री मनोज पुत्र बीरमाराम को सुपुर्द किया जाकर सुपुर्दगी के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना सी–3 को प्लास्टिक सील सं.–362240 से सील कर कार्यालय हाजा मे सुरक्षित रखने हेतु साथ लिया गया। ड्रम मार्क–डी से एक स्वच्छ स्टील की बाल्टी मे मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर एल्युमिनियम के कंटेनरो को उसी मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ से धोकर 1000 एमएल के तीन नमूना सेम्पल लिया जाकर मार्क डी–1, डी–2, डी–3 अंकित किया गया। तीनो नमूनो को क्रमशः प्लास्टिक सील सं.–973895, 362230, 362272 से सील किया जाकर नमूना डी–1 वास्ते एफएसएल जॉच हेतु एवं नमूना डी–3 कार्यालय मे सुरक्षित रखने हेतु साथ लिया गया एवं नमूना डी–2 को श्री मनोज पुत्र बीरमाराम को सुपुर्द किया जाकर सुपुर्दगी के हस्ताक्षर करवाये गये। प्लास्टिक जरीकन मार्क–ए को प्लास्टिक सील सं. 973822, प्लास्टिक ड्रम मार्क–बी को प्लास्टिक सील सं. 973891 एवं 973833, प्लास्टिक ड्रम मार्क–सी को प्लास्टिक सील सं. 973862 एवं 973879, प्लास्टिक ड्रम मार्क–डी को प्लास्टिक सील सं. 973800 एवं 973850 से सील किया गया। जब्तसुदा वाहन बोलेरो केम्पर रजिस्टर्ड नं. आरजे 43 जीए 7440, प्लास्टिक के ड्रम मार्क–ए, बी, सी व डी (तीन बडे एवं एक छोटा) मय 392.2 किलोग्राम मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (ड्रम सहित वजन), एक स्टील की धातु का कीमा, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वाल, 2 डायरी को प्रभारी मालखाना श्री लेहरीराम हेड कांस्टेबल पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी मे दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मौका जब्ती, नमूना एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर तैयार कर पढा सुनाकर सभी के सहमत होने पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार श्री मनोज, श्री पुनाराम, श्री जब्बरसिंह एवं श्री बिरमाराम का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply) Distribution and Prevention of Mal-practices) Oder 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर जब्तसुदा 404.02 किलोग्राम मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (छोटा नीला ड्रम/जरीकन 37 किलोग्राम सहित, जो मार्क ड्रम–ए, बडा नीला ड्रम सहित 137.10 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–बी, बडा नीला ड्रम सहित 112.60 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–सी, बडा नीला ड्रम सहित 117.5 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–डी) मय वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 7440, एक स्टील की धातु का कीमा, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वॉल को धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त प्रकरण में जब्त वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर आर.जे. 43 जी.ए. 7440 का अप्रार्थी संख्या 2 पुनाराम पुत्र नाथाराम जाति विश्नोई निवासी भाकरी ओसियां जिला जोधपुर राजस्थान रजिस्टर्ड मालिक है। वाहन की सुपुर्दगी लेने बाबत् अधिकृत है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को पुलिस द्वारा झूठा आलिप्त किया गया तथा प्रकरण में जो पदार्थ जब्त किया गया है वह अप्रार्थीगण का नहीं है पुलिस द्वारा अप्रार्थीगण को झूठा आलिप्त किया गया है। वाहन जिला रसद रसद अधिकारी, नागौर द्वारा जब्त किया हुआ है जो वाहन खींवसर थाने में खुले में पडा है बरसात का मौसम होने से जंग आदि लगने की संभावना है तथा पडे पडे खराब हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 को वाहन की सख्त आवश्यकता है। वकील अप्रार्थीगण ने बहस कर अंतिम निस्तारण हेतु निवेदन किया।

17/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

3 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी नागौर हमराह श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी एवं रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खींवसर पहुंचे। मौके पर पुलिस थानाधिकारी खींवसर से तहरीर प्राप्त कर जांच करने पर जब्तसुदा 404.02 किलोग्राम मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (छोटा नीला ड्रम/जरीकन 37 किलोग्राम सहित, जो मार्क ड्रम–ए, बडा नीला ड्रम सहित 137.10 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–बी, बडा नीला ड्रम सहित 112.60 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–सी, बडा नीला ड्रम सहित 117.5 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–डी) मय वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 7440, एक स्टील की धातु का कीमा, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वॉल पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण श्री मनोज पुत्र श्री बीरमाराम विश्नोई व श्री पुनाराम पुत्र नाथाराम विश्नोई से पूछताछ करने पर उसके पास पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थीगण का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply] Distribution and Prevention of Mal-practices) Oder 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा जब्तसुदा 404.02 किलोग्राम मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (छोटा नीला ड्रम/जरीकन 37 किलोग्राम सहित, जो मार्क ड्रम–ए, बडा नीला ड्रम सहित 137.10 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–बी, बडा नीला ड्रम सहित 112.60 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–सी, बडा नीला ड्रम सहित 117.5 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–डी) मय वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 7440, एक स्टील की धातु का कीमा, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वॉल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में जब्तसुदा जब्तसुदा 404.02 किलोग्राम मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (छोटा नीला ड्रम/जरीकन 37 किलोग्राम सहित, जो मार्क ड्रम–ए, बडा नीला ड्रम सहित 137.10 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–बी, बडा नीला ड्रम सहित 112.60 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–सी, बडा नीला ड्रम सहित 117.5 किलोग्राम जो मार्क ड्रम–डी) मय वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 7440, एक स्टील की धातु का कीमा, एक बडा इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक नोजल पाईप मय वॉल का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती है। प्रकरण में जब्तसुदा वाहन का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प मे अप्रार्थी संख्या 02 पुनाराम पुत्र नाथाराम जाति विश्नोई निवासी भाकरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है, अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तसुदा बोलेरो कैम्पर संख्या आर.जे. 43 जी.ए. 7440, को मुक्त करने के आदेश दिया जाता है, अप्रार्थीगण द्वारा 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4 निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/9/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर